178

संख्या-130रासनि/23-1-2015-88रासनि/15

प्रेषक,

श्याम लाल यादव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

डायरी नं0 534
फाइल सं0 04
दिनांक 13-2-15

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक 10 फरवरी, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से जनपद उन्नाव में सफीगंज रोड(नानी कोठरी) से सिद्धनाथ नई बस्ती संपर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु0-1), कार्यालय प्रमुख अभियंता, (यातायात वर्ग), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-460सी/357सी/रासनि(विमप्र)उन्नाव(भाग-12/2014-15, दिनांक 15.01.15 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/आगणन के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद उन्नाव में सफीगंज रोड(नानी कोठरी) से सिद्धनाथ नई बस्ती संपर्क मार्ग के पुनर्निर्माण के कार्य हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार लागत रू0 55.08 लाख (रूपये पचपन लाख आठ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-आयोजनागत के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि आवंटित किये जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र	मार्ग का नाम जनपद उन्नाव	लम्बाई (कि0मी0 में)	स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2014-15 में आवंटन
1	2	3	4	5
1	सफीगंज रोड(नानी कोठरी) से सिद्धनाथ नई बस्ती संपर्क मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य।(ग्रा0मा0)	1.00	55.08	10.00

(1) प्रायोजना की द्विरावृति की रोकथाम की दृष्टि से प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। यदि द्विरावृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को मानते हुए लागत को स्वीकृत किया गया है। इसमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, मार्ग की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन, स्वीकृत परियोजना के स्कोप में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाने से यदि प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर शासन के माध्यम से व्यय वित्त समिति का 03 माह के अंदर पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य को उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उन पर कोई व्यय भार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्तर्गत विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। यदि यह कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की जाती है तो समस्त उत्तरदायित्व मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता का होगा ।

(4) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृति/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के संशोधित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-74(4)/75,दिनांक 11.11.14 द्वारा जारी संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था के अनुसार राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट(सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपार्टमेंट क्रेडिट लिमिट(डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो पर दिनांक 01-4-2014 से सेन्टेज कार्यांश(लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज/अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21.03.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित प्राप्ति लेखाशीर्षक-"1054-00-800-05-00-00"में ट्रान्सफर इंट्री डाटा क्रेडिट करके जमा की जायेगी।

DAO / कमलेश बाबू / JE(T) / S.K. Singh AE / जितेन्द्र JE
/ कौशिक / स्वयं

12/2/15

http://shasanadesh.up.nic.in

Scanned by CamScanner

(5) लेबरसेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(6) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी । मूल्य ह्रास आरक्षित निधि की धनराशि शासनादेश सं0-3280(1)/23-9-05-25-20एसी/05, दिनांक 21.09.2005 एवं शासनादेश सं0-313-23-9-2013-20एसी/04टीसी, दिनांक 14.03.13 में की गई व्यवस्था के अनुसार लेखाशीर्षक"1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-04-टूल्स एवं प्लाण्ट की प्राप्तियां" में जमा करायी जायेगी ।

(7) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 2015 तक शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/जापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय ।

(9) राज्य सड़क निधि हेतु गठित उ0प्र0 राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा । यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है ।

(10) उक्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जायें ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके । यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितियश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय ।

(11) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

(12) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) वन भूमि स्थानांतरण के लिए भूमि उपलब्धता/नियमानुसार उसके स्थानांतरण की जिम्मेदारी/उसका दायित्व प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय प्रथमतः चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण-24-वृहत्त निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और अन्ततः लोक लेखे के "लेखाशीर्षक-8225-सड़क एवं सेतु निधि-02-राज्य सड़क एवं सेतु निधि-101-राज्य सड़क व सेतु निधि-01-राज्य सड़क निधि" में डेबिट करते हुए समतुल्य धनराशि अनुदान सं0-58 के "भाग-4 के वसूलियों-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-58-राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण (8225)-24-वृहत्त निर्माण कार्य" में जमा किया जायेगा ।

भवदीय,

(श्याम लाल यादव)
संयुक्त सचिव ।

78(1)/30

संख्या-67 एसनि(1)/23-1-15, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उन्नाव ।
3. मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियंता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6. वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
7. वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
8. लोक निर्माण अनुभाग-10
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(श्याम लाल यादव)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Scanned by CamScanner